[2009] 5 एस.सी.आर. 303

राजस्थान राज्य

बनाम

मनोज शर्मा व अन्य

(दाण्डिक अपील संख्या-303-304, 2003

3 मार्च 2009

[डॉ. अरिजीत पसायत और अशोक कुमार गांगुली, जे.जे.]

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

धारा-50,27 की प्रयोज्यता-जब्ती अभियुक्त के पास से नहीं बल्कि घर के अन्दर से की गयी धारा-50 की प्रयोज्यता नहीं है- उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा दर्शित निश्चित साक्ष्यों को ध्यान में नही रखा कि स्वतंत्र गवाहो को प्राप्त करना संभव नही था। प्रत्यर्थी संख्या-1 की दोषमुक्ति को बरकरार नही रखा जा सकता। जब्त की गयी मात्रा केवल 8 ग्राम थी यानी अल्प मात्रा, इसलिए प्रत्यर्थी सं0-1 को धारा-27 के संदर्भ में दोषी ठहराया जाना चाहिए- प्रत्यर्थी सं0-2 के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय ने बड़े पैमाने पर आरोप के दोषमुक्त होने का संकेत दिया। दोषमुक्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं-अधिसूचना दिनांक 327 ई दिनांकित 16.07.1996

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः दाण्डिक अपील संख्या 303-304/2003

एस.बी. दाण्डिक अपील संख्या-53/98 और 98/98 में उच्च न्यायालय राजस्थान खण्डपीठ जयपुर के निर्णय एवं आदेश दिनांकित 11.09.2001

डॉ. मनीष सिंधवी, एएजी, मिलिंद कुमार और संदीप बजाज (अपीलार्थी)

सी.एल. साहू (प्रत्यर्थी)

न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति डॉ० अरिजीत पसायत** द्वारा सुनाया गया- इन अपीलों में एस.बी. क्रिमिनल अपील संख्या 53/98 एवं 98/98 में प्रत्यर्थीगण मनोज शर्मा व मोहम्मद रफीक द्वारा दाखिल अपीलों को राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती दी गई है। अभियुक्त- प्रत्यर्थी संख्या 1 मनोज शर्मा को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 8 सपठित धारा 21 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा। अभियुक्त संख्या 2 मोहम्मद रफीक पर धारा 8 सपठित धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध के दुष्प्रेरण का आरोप लगाया गया था। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों में असंगति और अन्य विसंगतियों के अलावा अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के आधार पर दोषमुक्ति का निर्देश दिया। जहां तक अभियुक्त मोहम्मद रफीक का संबंध है, उच्च न्यायालय ने कहा कि जब्ती के स्थान के संबंध में आरोप दोषयुक्त था। जहां तक अभियुक्त मनोज शर्मा का संबंध है, यह पाया गया कि यह अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकता का अनुपालन नहीं था। स्वतंत्र गवाहों को प्रस्तुत नही किया। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने दोषमुक्त करने का निर्देश दिया।

अपील के समर्थन मे, अपीलकर्ता- राज्य के विद्वान वकील ने कथन किया कि चूंकि जब्ती घर के अंदर एक जगह से हुई थी, न कि अभियुक्त व्यक्ति से, अतः धारा 50 का अनुपालन आवश्यक नही है।

इसके अतिरिक्त, यह भी कथन किया गया कि स्वतंत्र गवाहो को प्राप्त करने में सरकारी कर्मचारियों को आने वाली कठिनाईयों पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। यह स्पष्ट रूप से अभिलेख पर लाया गया कि प्रयासों के बावजूद कोई स्वतंत्र गवाह नही प्रस्तुत किया जा सका क्योंकि अभियुक्त व्यक्ति जाने-माने बदमाश थे।

नोटिस तामील होने के बावजूद प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

जहां तक धारा 50 की आवश्यकताओं के कथित गैर-अनुपालन का प्रश्न है, इस न्यायालय ने कई मामलों में माना है कि जब तलाशी किसी व्यक्ति की नहीं होती है तो धारा 50 के प्रावधान का कोई प्रयोग नहीं होता है। वर्तमान मामले में, जब्ती अभियुक्त के पास से नहीं, बल्कि घर के अंदर से हुई थी। ऐसा होने पर, अधिनियम की धारा 50 मामले के तथ्यों पर लागू नही होती है। उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा दर्शाये गए निश्चित साक्ष्यों को ध्यान में नहीं रखा कि स्वतन्त्र गवाहो को प्राप्त करना किस प्रकार संभव नही था। ऐसे में अभियुक्त मनोज शर्मा की दोषमुक्ति को जारी नही रखा जा सकता। यद्यपि कि, ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 327 ई दिनांकित 16.07.1996 के आलोक में जब्ती की गई मात्रा 8 ग्राम थी तथा अधिसूचना के प्रावधान के अनुसार यदि किसी अभियुक्त के कब्जे में 25 ग्राम तक अफीम पाया जाता है तो ऐसे अभियुक्त को अल्प मात्रा के लिए अधिनियम के अनुसार दण्डित किया जा सकता है।

व्यक्तिगत उपयोग से संबंधित धारा 27 का प्रावधान स्पष्ट रूप से लागू होता है। इसलिए, अभियुक्त व्यक्ति मनोज शर्मा को अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाना चाहिए। अभिलेख से पता चलता है कि अभियुक्त को करीब 2 साल की हिरासत भुगतनी पड़ी है। सजा को पहले ही पूरी की जा चुकी अवधि तक घटा दिया गया है।

जहां तक मोहम्मद रफीक का प्रश्न है तो हाईकोर्ट ने बड़े विस्तार से आरोपो में दोषमुक्त होने के विषय में बताया है, ऐसा होने पर, हम उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मोहम्मद रफीक को दोषमुक्त करने में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।

तदनुसार अपीलों का निपटारा किया जाता है।

(डॉ. अरिजीत पसायत) .....जे.

((अशोक कुमार गांगुली) नई दिल्ली, 03 मार्च 2009

Digitally signed by Chandra Mohan Mishra
Date: 2023.10.13 15:40:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court